



सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय, पटेल चौक- सीवान-841226

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) का प्रावधान देखें]

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा सर्वसाधारण एवं विशेष रूप से ऋणी(कों) और जमानतदार(कों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास गिरवी /प्रभारित है, जिसका भौतिक कब्जा, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, मद्रास शाखा (सुरक्षित ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, जिसे ऋणी/ऋणदाताओं एवं जमानतदारों से सुरक्षित ऋणदाताओं को बकाया राशि की वसूली के लिए दिनांक 29.06.2026 को 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है जो है' एवं 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जाएगा। संबंधित संपत्तियों के विवरण के सामने आरक्षित मूल्य एवं बयाना राशि (ईएमडी) प्रदर्शित की गई है।

क्र. सं.	शाखा	उधारकर्ता का नाम	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	दिनांक 11.06.2026 तक बकाया एवं वसूली योग्य राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी /बोली वृद्धि राशि
1.	मद्रास	मेसर्स बाबा राइस मिल प्रो. श्री रामाशंकर पांडेय पिता स्वर्गीय भिगु आश्रम ग्राम-छितौना, पोस्ट- छितौना, थाना- बिजयपुर, जिला-गोपालगंज	रु. 24,87,834.00 (रूपये चौबीस लाख सत्तासी हजार आठ सौ चौतीस मात्र) दिनांक 24.03.2021 तक + उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य कानूनी शुल्क	रु. 50,32,125.00 (रूपये पचास लाख बत्तीस हजार एक सौ पच्चीस मात्र) + उस पर आगे का ब्याज एवं अन्य कानूनी शुल्क।	संपत्ति का साम्यिक बंधक (भूमि एवं भवन) श्री रमाशंकर पांडेय के नाम पर छितौना, पोस्ट-छितौना, थाना- बिजयपुर, जिला-गोपालगंज 1.खाता संख्या 101, सर्वे संख्या 338, क्षेत्रफल-63.0 डेसिमल संपत्ति का चौहद्दी:उत्तर: रेखा कोहर,दक्षिण : रमाशंकर पांडेय, पूर्व : चंद्रदेव भगत,पश्चिम: सड़क 2.खाता संख्या-101, सर्वे संख्या-339, क्षेत्रफल-8.0 डेसिमल संपत्ति का चौहद्दी:उत्तर: रमाशंकर पांडेय, दक्षिण : सड़क, पूर्व : चंद्रदेव भगत, पश्चिम : रमाशंकर पांडेय	रु. 8165161 रु. 816517 रु. 10000

सुरक्षित ऋणदाता को ज्ञात भार-शून्य

निरीक्षण की तिथि एवं समय	बोली राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	ई-नीलामी तिथि एवं समय
दिनांक 25.06.2026 को सुबह 10.00 बजे से शाम 3.00 बजे तक	दिनांक 28.06.2026 को सुबह 10.00 बजे से शाम 3.00 बजे तक	दिनांक 29.06.2026 को सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

इसे उक्त ऋण के उधारकर्ता/उधारकर्ताओं को उपरोक्त तिथि को ई-नीलामी आयोजित करने के संबंध में सुरक्षा (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) /नियम 9(1) के तहत दी गई सूचना भी माना जा सकता है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट www.banknet.com पर जाएं।

SARFAESI अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

ऋणकर्ता/गारंटर (ओं) को सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित संपत्तियों की नीलामी की जाएगी एवं बिक्री से प्राप्त राशि के विनियोजन के बाद, यदि कोई शेष राशि बचती है तो वह ब्याज एवं लागत सहित आपसे वसूल की जाएगी।

दिनांक - 11.06.2026
स्थान-सीवान

विवाद की स्थिति में अग्रंजी पाठ्य मान्य होगा

प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया